



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2023/ 9071

दिनांक: 3-10-23

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय प्रवेश समिति के निश्चय संख्या 08 दिनांक 23.08.2023 एवं विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् के निश्चय संख्या 03 दिनांक 02.09.2023 के द्वारा की गई अनुशंसा एवं तत्पश्चात् कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.09.2023 द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसरण में नूर शेखावत (Trans Women) को विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम (B.A. Course) में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विशेष मामले के तौर पर (As a Special Case) इस प्रवेश को स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त (Over & Above to sanctioned intake capacity) मानते हुए प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

- Sd -
कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2023/ 9072 - 79

दिनांक: 3-10-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: -

1. प्राचार्या, विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ कि उक्त विद्यार्थी को उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसरण में तत्काल प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जावे।
2. निदेशक, विश्वविद्यालय इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. वरिष्ठ निजी सहायक-कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा संचालन/नामांकन), रा.वि.वि., जयपुर।

10/10/23
उप कुलसचिव
(शैक्षणिक-द्वितीय)